सूचना विवरणिका

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019

(शैक्षणिक सत्र 2019–20 में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में उत्तराखण्ड राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा)

आयोजक

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

प्रशासनिक भवन, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर, पटेल नगर, देहराखास देहरादून,
पिन– 248001 उत्तराखण्ड, भारत

दूरभाष 0135–2273321, 2273322 फैक्स नं0 0135–2273323

वेबसाईट : www.hnbumu.ac.in, ई–मेल : info.hnbumu@gmail.com

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 से सम्बन्धित निर्धारित तिथियाँ

(1)	ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि	29.05.2019 (अपरान्हं 02:00 बजे) से 22.06.2019 (साय 05:00 बजे तक)
(2)	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र/ ऑनलाईन शुल्क के माध्यम से	
(3)	प्रवेश पत्र वेबसाईट से डाउनलोड करने की तिथि	23.06.2019 को *अपरान्हः 01:00 बजे से*
(4)	परीक्षा की तिथि	30.06.2019 (रविवार) 02:00 बजे से 04:00 बजे तक

अनुक्रमणिका

क्र0 स0	विवरण
1	प्रस्तावना
2	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 के सन्दर्भ में नियम व शर्ते एवं महत्वपूर्ण निर्देश
3	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 में सम्मिलित होने हेतु अर्हतायें
4	आरक्षण सम्बन्धी नियम
5	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 का कार्यक्रम
6	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 परीक्षा केन्द्र
7	प्रवेश पत्र
8	अनुचित साधनों का प्रयोग
9	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 के परीक्षाफल / मेरिट सूची की घोषणा
10	काउन्सिलिंग सम्बन्धी सूचना
11	उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 के लिए उपलब्ध सीटों / कॉलेजों का विवरण
12	प्रवेश उपरान्त जमा शुल्क वापसी के नियम
13	न्यायिक विवाद
14	विभिन्न प्रमाण पत्र एवं उनके प्रारूप, संगत शासनादेश

प्रस्तावनाः– शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों (बी0एस0सी0 एम0एल0टी0 / बी0एम0आर0टी0 / बी0एस–सी0 आप्टोमेट्री बी0एस–सी0 मेडिकल माइक्रोबायोलाजी / बी0पी0टी0 / बी0ओ0टी0टी0(ओ0टी0 टैक्नीशीयन) की राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा **उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019** का आयोजन **दिनांक 30.06.2019 को अपरान्हः 02:00 बजे से 04:00 तक देहरादून एवं हल्द्वानी** स्थित परीक्षा केन्द्रों में किया जायेगा।

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 का आयोजन शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु किया जायेगाः–

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2019–20 में पैरामेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों की राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों पर शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 की मैरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से नियमानुसार सीट आवंटन किया जायेगा।

1. उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 हेतु नियम , शर्ते एवं महत्वपूर्ण निर्देश :–

2.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवदेन पत्र भरने से पूर्व इस सूचना विवरणिका का भली–भांति अध्ययन कर लें। आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। सूचना विवरणिका के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों (आरक्षण संबंधी एवं अन्य) एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेश मान्य होगे।

2.2 प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः online होगी। इसमें सभी वांछित सूचनाऐं यथा स्थान त्रुटिहीन भरना आवश्यक है। गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वंय उत्तरदायी होगा। किसी भी दशा में जमा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

2.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पत्राचार का पूरा पता, मोबाइल नम्बर, ई–मेल पता online आवेदन पत्र में दिये गये निश्चित स्थान पर पूर्ण एवं सही–सही भरें।

2.4 **Online आवेदन के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्गत एक मान्य फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राईविग लाइसेंस / अन्तिम शिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा निर्गत फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पूराना न हो) की स्वसत्यापित छायाप्रति अपलोड की जानी अनिवार्य होगी**

2.5 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 **में** आवेदन करने हेतु सामान्य एवं पिछडे वर्गो के अभ्यर्थियों लिए शुल्क प्रति पाठ्यक्रमवार रूपया 1500.00 (रूपया पद्रह सौ मात्र) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रति पाठ्यक्रमवार रूपया 1000.00 (रूपया एक हजार मात्र) निर्धारित किया गया है। Online आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया का विश्वविद्यालय की वेबसाईट के पृथक लिंक "How to Fill Online Form" मे विस्तृत विवरण उल्लिखित किया गया है।

2.6 कॉउन्सिलिंग के समय सम्बन्धित वांछित प्रमाण–पत्रों (यथा शैक्षणिक / जाति / उपजाति / पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि) की स्वसत्यापित छायाप्रतियां कॉउन्सिलिंग बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर इस हेतु दिये गये लिंक पर upload करना अनिवार्य होगा।

2.7 अभ्यर्थी को आवेदन–पत्रों में उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 की प्रवेश परीक्षा में मांगी / भरी गई श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी, परन्तु काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के upload किये गये प्रमाण–पत्रों का अवलोकन / सत्यापन कर यह निर्धारित किया जाएगा कि वह उसके द्वारा आवेदित आरक्षित श्रेणी का लाभ दिये जाने हेतु पात्र है अथवा नही। इस विषय पर

काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। केवल इस आधार पर कि उसे पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 में बैठने की अनुमति दे दी गयी थी, कोई भी अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ पाने का पात्र नहीं हो पाएगा।

2.8 यदि कोई अभ्यर्थी काउंसिलिंग बोर्ड के अवलोकनार्थ निर्धारित समय–सीमा अन्तर्गत वांछित अभिलेख upload नहीं करता है, तो उसे उस काउंसिलिंग में कथित लाभ अनुमन्य नहीं होगा। किन्तु यदि अगली काउंसिलिंग होती है तो उस स्थिति में ऐसा अभ्यर्थी उस काउंसिलिंग में वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु इस स्थिति में उसे उस समय उपलब्ध सीटों में से ही नियमानुसार आवंटन किया जायेगा।

2.9 **एक बार आवेदन करने के पश्चात् श्रेणी में परिवर्तन संबंधी कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

2.10 अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र की printed copy अपने पास भविष्य में प्रयोग के लिए अवश्य रखे। भविष्य में पत्र–व्यवहार हेतु आवेदन–पत्र के क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।

2.11 ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका (O.M.R. Answer Sheet) जो परीक्षा के समय दी जायेगी, उसमें (Black) काले बॉल प्वांइन्ट पेन (Ball-point Pen) का ही प्रयोग करें।

2.12 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा आरम्भ होने से 45 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष में अवश्य उपस्थित हो जाये, ताकि ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका (O.M.R. Answer Sheet) पर वांछित विवरण ठीक प्रकार से भर सकें। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जायेगा।

2.13 किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्त होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

2.14 वह अभ्यर्थी जिनकी अर्हकारी परीक्षा का परीक्षाफल किसी भी कारण से काउन्सिलिंग तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, वे किसी भी स्थिति में आवंटन/प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे। जो अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा में सम्मलित हो रहे हैं या अन्तिम परीक्षा परिणाम के लिये प्रतीक्षारत हैं, वे प्रवेश परीक्षा में सम्मलित हो सकते है।

2.15 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 में मात्र सम्मिलित होने से ही अभ्यर्थी का पैरामेडिकल की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नही होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हताओं एवं आरक्षण के नियमो के काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत होगा।

2.16 **अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 के आवेदन पत्र में दी गयी कोई भी सूचना यदि गलत पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना के आधार पर किसी संस्थान में प्रवेश पा लिया गया हो तो भी उसका प्रवेश तत्काल निरस्त माना जाएगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**

2.17 **वे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह नहीं है फिर भी सम्मिलित होते है, वे उक्त परिस्थिति में किसी प्रकार के प्रवेश के दावेदार नहीं होगें। अतः अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये पात्रता की शर्तो को पहले से ही स्वयं सुनिश्चित कर लें।**

2.18 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 की प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन किया है तथा किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो पाया हो उसका जमा परीक्षा शुल्क न तो वापस किया जाएगा और न ही उसे अगले वर्षो के किसी भी उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए समायोजित किया जाएगा।

2.19 पुरुष अभ्यर्थियों के बांये हाथ एवं महिला अभ्यर्थियों के दाये हाथ के अंगूठे के निशान निम्न अवसरों पर लिये जायेगें।

(1) प्रवेश परीक्षा देते समय।

(2) सबंन्धित सस्थान में प्रवेश के समय।

2.20 परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त सभी सेटों की उत्तर कुंजी (Answer key) विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in के माध्यम से परीक्षा उपरान्त अपलोड की जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी कतिपय प्रश्न/प्रश्नों के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड कराई गई उत्तर कुंजी के

सही उत्तर विकल्प/विकल्पों से संतुष्ट नहीं है और यदि प्रश्न के उत्तर को चुनौती देना चाहता है, तो उसे उत्तर कुंजी अपलोड करने के तीन दिन के भीतर प्रति प्रश्न रू0 500.00 का बैंक ड्राफ्ट जो कि **वित्त नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर, पटेल नगर, देहराखास देहरादून–248001** के नाम देय हो, विश्वविद्यालय में मूलरूप में जमा कराना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः परीक्षणोंपरान्त यदि अपलोड उत्तर कुंजी में वास्तव में उत्तर भिन्न है तो विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को उस प्रश्न की निर्धारित राशि अर्थात् रू0 500.00 प्रति प्रश्न वापस लौटा दी जायेगी। और यदि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर कुंजी के अनुसार ही उत्तर सही है तो संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कोई भी धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

2.21 यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट में उसके नाम के सम्मुख उल्लिखित अंक से संतुष्ट नहीं हो और वह इस हेतु शुल्क स्वरूप रू0 1000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो कि **वित्त नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर, पटेल नगर, देहराखास देहरादून–248001** के नाम देय हो, विश्वविद्यालय में मूलरूप में जमा करवाकर अपने ओ0एम0आर0 का manual assessment करा सकता है। यदि संबंधित अभ्यर्थी के manual assessment में विश्वविद्यालय स्तर से कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो इस पर सुधार हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित evaluation committee को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संदर्भित कर दिया जाएगा तथा evaluation committee की संस्तुति पर तद्नुसार अद्यतन मेरिट सूची जारी की जायेगी और संबंधित अभ्यर्थी को उनके द्वारा पूर्व में जमा कराये गये रू0 1000.00 की राशि लौटा दी जायेगी। यदि उस अभ्यर्थी का अंक परिणाम पूर्ववत् ही है तो संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कोई भी धनराशि वापस नहीं की जायेगी। उक्त हेतु अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की वेबसाईट में परिणाम घोषित हो जाने की तिथि से 05 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। उक्त समय–सीमा के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में कोई भी अन्य आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2.22 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी अनैतिक तरीके को इस्तेमाल करते हुये पाया गया तो उसका अर्भ्यथन तत्काल निरस्त समझा जायेगा। साथ ही उसके विरूद्व विश्वविद्यालय द्वारा न्यायिक प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

2.23 आवेदन पत्र में लिखी या दी गई किसी भ्रामक गलत तथा तथ्यों से परे सूचना के प्रकाश में आने पर प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के उपरान्त (जैसी भी स्थिति हो) अभ्यर्थी का अभ्यावेदन/प्रवेश निरस्त किया जा सकता हैं। प्रवेशोपरान्त यह कार्यवाही सम्बन्धित पैरामेडिकल कालेज के प्राचार्य तथा इससे पूर्व परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था/विश्वविद्यालय अथवा काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा की जाएगी।

2.24 **परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर/मोबाइल फोन आदि) लाना वर्जित हैं।**

2.25 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 प्रवेश परीक्षा की सूचना विवरणिका में टंकित किसी भी सूचना/नियम/ अर्हता/कार्यवाही में किसी भी अस्पसष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय/कांउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा की गयी व्याख्या ही अन्तिम एवं सर्वमान्य होगी।

2.26 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 प्रवेश परीक्षा एवं कांउन्सिलिंग सम्बन्धी अभिलेख परीक्षा की तिथि से केवल एक वर्ष के लिये सुरक्षित रखे जायेगें।

2.27 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय/ पैरामेडिकल कांउसिल, देहरादून द्वारा निर्धारित अद्यतन अर्हतायें लागू होंगी।

2.28 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 का आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाए जिनको सूचना विवरणिका (Brochure 2019) की समस्त शर्तें व नियम स्वीकार्य हो।

2.29 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 के सम्बन्ध में अभ्यर्थी परीक्षा नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज परिसर, पटेल नगर, देहराखास देहरादून–248001 के कार्यालय दूरभाष संख्या 0135–2723321 एवं 2528085 अथवा वेबसाईट पर दिये गये हैल्पलाईन नम्बर से किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

2. उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएं

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताएं होगीं–

3.1 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

3.2 आयु सीमा

पैरामेडिकल परीक्षा के अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 17 वर्ष दिनांक 31.12.2019 को पूर्ण होनी आवश्यक है।

3.3 शैक्षणिक अर्हताएं :–

- **पैरामेडिकल** –

1. उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे स्थाई/मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाईस्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उत्तराखण्ड राज्य में स्थित ISSCE/CBSE/ICSE/SSCE/HSCE बोर्ड अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी) एवं अंग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय मे पृथक–पृथक उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी) मे औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उर्त्तीण की हो,

   बी0एम0आर0टी0 एवं बी0एस–सी0 आप्ट्रोमेट्री पाठ्यक्रम हेतु 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलाजी/गणित) मे औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उर्त्तीण की हो,

   अथवा

2. ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी नहीं हैं तथा जिनके द्वारा हाईस्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाऐं उत्तराखण्ड राज्य में स्थित ISSCE/CBSE/ICSE/SSCE/HSCE बोर्ड अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्त्तीण की हो, जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स,कैमिस्ट्री, बायोलॉजी) एवं अंग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय मे पृथक–पृथक उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी) मे औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उर्त्तीण की हो, परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होगें, परन्तु वे किसी आरक्षित सीट का दावा नही करेगें,

   बी0एम0आर0टी0 एवं बी0एस–सी0 आप्ट्रोमेट्री पाठ्यक्रम हेतु 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलाजी/गणित) मे औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उर्त्तीण की हो,

   अथवा

3. उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे स्थाई/मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाईस्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षाओं में से कोई एक अथवा दोनों उत्तराखण्ड राज्य के बाहर(अन्य राज्य) स्थित ISSCE/CBSE/ICSE/SSCE/HSCE बोर्ड अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से

उत्तीर्ण की हो, जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी) एवं अंग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय मे पृथक–पृथक उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलॉजी) मे औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उत्तीर्ण की हो,

बी0एम0आर0टी0 एवं बी0एस–सी0 आप्ट्रोमेट्री पाठ्यक्रम हेतु 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बायोलाजी/गणित) मे औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उत्तीर्ण की हो,

- अर्हकारी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्रतिशत मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 5 प्रतिशत की छूट होगी।

3.4 अभ्यर्थी का प्रवेश वर्ष भर में केवल एक ही बार होगा।

3.5 अभ्यर्थी चिकित्सकीय आधार पर स्वस्थ होना चाहिए।

3.6 एन0आई0ओ0एस0 (National Institute of Open School) से 10+2 परीक्षा विज्ञान विषय में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी भी बी0एस0सी0 पैरामेडिकल हेतु अर्ह होगें। इस हेतु उन्हें 10+2 परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3.7 यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार किसी पाठ्यक्रम की अर्हता परीक्षा में इस वर्ष सम्मिलित हुआ हो, तो वह भी उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है, परन्तु उसे काउंसिलिंग के समय सम्बन्धित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न कर पाने की दशा में उसका अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। यह प्राविधान/शर्त उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों में आवेदन करने हेतु लागू होगी।

3.8 **पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकानुसार पाठ्यक्रम के एक ही प्रश्न पत्र होंगे तथा परीक्षाएं भी एक होगीं एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की वरीयता सूची भी पृथक–पृथक बनाई जाएगी।**

3.9 **विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/राज्य स्थित पैरामेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्धारित अद्यतन अर्हताएं मान्य/परिवर्तनीय होंगी।**

3. आरक्षण सम्बन्धी नियम

4.1 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 के माध्यम से उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।

4.2 अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउॅन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4.3 ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र आई0एन0सी0,नई दिल्ली द्वारा इस सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक अथवा काउंन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैद्य (valid) होना चाहिए। **शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16–02 (ओ0बी0सी0)/ 2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही मान्य (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वें अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैद्यता (validity) को भली–भाति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएगे।**

4.4 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 में उपरोक्तानुसार एस0सी0,एस0टी0, ओ0बी0सी0 श्रेणी के उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटें सम्बन्धित श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध ना

होने की दशा में रिक्त रहने पर **अंतिम (द्वितीय) चरण** की काउंसिलिंग में निम्नानुसार परिवर्तित (convert) कर भरी जाएंगी। **शासनादेश संख्या 1070/XXVII(1)/2017–150/2005II Cover दिनांक 25 अगस्त, 2017 के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के उर्ध्व आरक्षण के अन्तर्गत विकलांगों के लिये क्षैतिज के स्थान रिक्त रह जाते है तो यह सभी सामान्य वर्ग के विकलांगों के लिये आरक्षित होंगे शेष मामलों के अनुसूचित जनजाति, की रिक्त सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की रिक्त सीटे अन्य पिछड़ा वर्ग से एवं तद्न्तर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की रिक्त सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी।**

4.5 राजकीय/ निजी क्षेत्र में स्थित पैरामेडिकल कालेजों की उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों में आरक्षित सीटों का विवरण काउंसिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर प्रर्दशित किया जाएगा।

4.6 शासनदेश संख्या 570/कार्मिक–2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में 05 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल भूतपूर्व सैनिको के आश्रितो को देय होगा।

4.7 प्रत्येक संस्थान में राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों की पॉच प्रतिशत सीटें विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होगीं। यह आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा। उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 में विकलांग अभ्यर्थियों की अर्हता निर्धारित किये जाने के निम्नानुसार मानक होगें।
5% Disability reservation to be considered with a disability of locomotor to the tune of 40% to 50% of the lower extremity and other eligibility criteria with regard to age and qualification will be same as prescribed for each nursing programme.

- उक्त श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के विरूद्व प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा इस हेतु गठित विशेष मेडिकल बोर्ड के सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाण पत्र उन्हें काउँन्सिलिंग के दौरान ऑनलाईन आवेदन करते समय यथा स्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। तभी उन्हें विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटों के विरूद्व सीट आवटंन की कार्यवाही हेतु अर्ह माना जाएगा।
- अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत उसी सीमा तक मान्य होगा, जो इस हेतु समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
- उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून के चन्दर नगर, देहरादून स्थित कार्यालय में बैठेगा। उक्त मेडिकल बोर्ड के गठन संबधी तिथि एवं समय की सूचना पृथक से कॉउन्सिलिगं हेतु जारी महत्वपूर्ण निर्देशो के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर कॉउन्सिलिगं के समय जारी की जाएगी।
- उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी भी मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- अतः इच्छुक विकलांग अभ्थर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे उक्त श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के विरूद्व प्रवेश लेने हेतु महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यााण,उत्तराखण्ड द्वारा गठित उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड के सम्मुख कॉउन्सिलिगं के समय निर्धारित तिथि/समय मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं इस प्रमाण पत्र को काउँन्सिलिंग के दौरान ऑनलाईन आवेदन करते समय यथा स्थान अनिवार्य रूप से अपलोड भी करें।

4. उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 का कार्यक्रमः–

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम।

दिनांक एवं दिन	समय	प्रश्न–पत्र	प्रश्नो की संख्या
30.06.2019 रविवार	02:00 बजे से 04 बजे तक	***इण्टरमीडिएट*** (10+2) विज्ञान (जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन) पाठ्यक्रम स्तर के	100

- पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय/राज्य स्थित पैरामेडिकल द्वारा निर्धारित मानकानुसार उपरोक्त विषयों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे जिसमें पैरामेडिकल के लिए इण्टरमीडिएट विज्ञान स्तर (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी एवं रसासन विज्ञान), पाठ्यक्रम स्तर पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1.0 अंक होगा और पूर्णाक अंक 100 होगें। यह प्रश्न पत्र 2 घन्टें का होगा।
- विषय के प्रश्न–पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के (Objective Type) होंगे। प्रश्न–पत्र में 100 बहुविकल्पीय (a,b,c,d) प्रश्न होगें जिनका एक ही सर्वउपयुक्त विकल्प होगा। प्रत्येक सही उत्तर के एक अंक प्राप्त होगें तथा गलत/उत्तर नही देने पर/कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर शून्य अंक प्राप्त होगा।
- प्रश्न–पत्र हिन्दी एवं अग्रेंजी दोनों भाषाओं में बनाये जायेंगे। उत्तर–पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय कोई ऋणात्मक अंक की पद्धति लागू नहीं होगी।
- उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 के परीक्षण मंडल द्वारा प्रश्न पत्रों के निर्धारित उत्तर व परीक्षाफल अंतिम रूप में मान्य होंगे। उत्तर–पुस्तिका का मूल्यांकन केवल कम्प्यूटर द्वारा होगा और इसमें त्रुटि की कोई सम्भावना नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विशेष परिस्थितियों में उत्तर पुस्तिकाओं का **manual assessment** उपरोक्त प्रवेश विवरणिका के बिन्दु संख्या– 2.21 में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत सम्पादित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा उपरान्त प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी।
- परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोषित हो जाए।
- परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर/मोबाईल फोन आदि) लाना वर्जित हैं।
- सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए नियत समय से 45 मिनट पूर्व अपना स्थान अवश्य ही ग्रहण कर लें ताकि वे उत्तर–पुस्तिका में आवश्यक सूचना प्रश्न–पत्र शुरू होने से पूर्व भर सकें।
- प्रश्न–पत्र पर लगी हुई पेपर सील को तभी तोड़े जब कक्ष निरीक्षक द्वारा इसकी घोषणा की जाए।
- किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में एक से अधिक गोलों को भरने से गलत उत्तर माना जायेगा।
- उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 में बैठने वाले अभ्यर्थी बी0एस0सी0 नर्सिग/ए0एन0एम0/जी0एन0एम0 पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते है, बशर्ते कि अभ्यर्थी सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए अर्हता रखते हों। इसके लिए उन्हें आवेदन–पत्र में एवं उत्तर–पुस्तिका मे सही जगह पर निर्देशानुसार विकल्पों को भरना/निशान लगाना होगा। तीनों पाठ्यक्रमों की परीक्षा एक ही तिथि पर आयोजित होगी परन्तु तीनों पाठ्यक्रमों के लिये पृथक–पृथक प्रश्नपत्र होगें, जिसका वर्णन ऊपर किया गया हैं।

- उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 का आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाए जिनको विवरिणका पुस्तिका (Brochure 2019) की समस्त शर्तें व नियम स्वीकार्य हो।

5. उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 का परीक्षा केन्द्र :–

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 की लिखित परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रो पर आयोजित की जाएगी :–

परीक्षा केन्द्र	परीक्षा केन्द्र कोड
देहरादून	1
हल्द्वानी	2

प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर एक ही परीक्षा केन्द्र का विकल्प भरना होगा। एक बार चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का अधिकार अभ्यर्थी को नहीं है। परन्तु विश्वविद्यालय को आवश्यकतानुसार उक्त परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढाने/घटाने एवं अभ्यर्थी द्वारा चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी को केवल नियत केन्द्र पर ही प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। एक बार आवंटित किए गए परीक्षा केन्द्र को बदलने हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. प्रवेश पत्र

प्रवेश पत्र (Admit Card) सभी अभ्यर्थी दिनांक 24.07.2019 प्रातः 10:00 बजे से विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in से डाउनलोड कर सकते है। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र में डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा तिथि से पूर्व अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने के समय साथ लेकर आये तथा **अभ्यर्थी यह प्रवेश पत्र तब तक सुरक्षित रखें जब तक प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग प्रक्रिया सम्पन्न न हो जाए।** साथ ही अभ्यर्थी online आवेदन करते समय अंकित किया गया मोबाइल नम्बर तथा पासवर्ड सम्पूर्ण परीक्षा पूर्ण होने तक सुरक्षित रखें। **साथ ही प्रवेश परीक्षा देते समय परीक्षा केन्द्र मे आनलाईन अपलोड किये गये फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति भी अनिवार्य रूप से साथ लायें।**

7. अनुचित साधनों का प्रयोग (Unfair means)

प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर, चाहे उसका परिचयन परीक्षा के समय हुआ हो अथवा मूल्यांकन के समय अथवा किसी अन्य स्थिति में, अभ्यर्थी की परीक्षा को बिना किसी लिखित सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में विष्वविद्यालय/विभाग/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

8. उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 के परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा

9.1 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट **www.hnbumu.ac.in** में अपलोड कर घोषित किया जाएगा। साथ ही परीक्षाफल घोषित होने की सूचना भी प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत परीक्षाफल (स्कोर कार्ड) उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। **विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को पृथक से स्कोर कार्ड नहीं भेजा जाएगा।** अगर परीक्षाफल

घोषित होने के बाद कोई त्रुटि ज्ञात होती है तो आवश्यक संशोधन विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.hnbumu.ac.in** में अपलोड किया जाएगा। यदि इसके अलावा कोई अन्य समाचार पत्र परीक्षाफल अपने आप से प्रकाशित करता है एवं उसमें कोई गलतियां रह जाती है और वह समाचार पत्र इसका संशोधन प्रकाशित नही करता तो इसके लिए परीक्षा आयोजित कराने वाली विश्वविद्यालय अथवा उत्तराखण्ड सरकार किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे व इसके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

9.2 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 की मेरिट के आधार पर सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं संस्थान का आवंटन राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से शासन द्वारा गठित काउन्सिंलिग बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर होगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का योग समान होता है तो उस स्थिति मे प्रत्येक अभ्यर्थी की जन्मतिथि के आधार पर मेरिट क्रम निर्धारित की जाएगी। इसके उपरांत भी यदि मेरिट क्रमांक की अवधारणा न हो तो संबंधित अभ्यर्थियों के नामों की वर्णमाला के क्रम से मेरिट निर्धारित की जाएगी।

9.3 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय पैरामेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्धारित मानक मान्य होंगे

काउंसिलिंग सम्बन्धी सूचना

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं कालेज का आवंटन उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से शासन द्वारा गठित काउन्सिंलिग बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

10.1 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 की काउॅन्सिलिंग प्रक्रिया online माध्यम से कराई जाएगी। **काउॅन्सिलिंग की प्रक्रिया, तिथियॉ, समय एवं काउॅन्सिलिंग संबंधी अन्य जानकारियॉ/महत्वपूर्ण निर्देश समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में पृथक से प्रकाशित की जाएगी।** इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी।

10.2 काउन्सिलिंग हेतु इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को सीट आवंटन विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त तैयार की गयी मेरिट, उपलब्ध सीटों तथा अभ्यर्थियो द्वारा चूनें गये विकल्पो के आधार पर की जायेगी।

10.3 केवल उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थी का राज्य कोटें की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हताओं एवं आरक्षण के नियम काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत होगा।

10.4 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित समय–सीमा में Online काउॅन्सिलिंग धनराशि रू0 800/– (रूपया आठ सौ मात्र) Online के माध्यम से पंजीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य हेगा। पंजीकृत अभ्यर्थी ही कॉउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह माने जाएगें। पंजीकरण शुल्क Non-Refundable होगा। अतः प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण से पूर्व सूचना विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी अर्हता को सुनिश्चित कर लें। एक बार जमा किया गया काउंसिलिंग पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।

10.5 यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसिलिंग में धनराशि रू0 800/– देकर अपना पंजीकरण करवा चुका हैं और वह द्वितीय काउंसिलिंग में भी सम्मिलित होना चाहता है तो उसे इस हेतु अलग से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं जमा कराना होगा।

10.6 काउंसिलिंग के विभिन्न चरणों तथा प्रतिभाग करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, नियम एवं शर्ते तथा अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण पृथक से वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

10.7 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 परीक्षा के माध्यम से कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किये गये आवंटन एवं सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिये गये प्रवेश प्रथम दृष्टया अस्थाई होगें तथा उन्हें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 कॉउन्सिलिंग बोर्ड/उत्तराखण्ड शासन के पास सुरक्षित होगा।

10.8 काउंसिलिंग सम्बन्धी सूचनाऐं समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

11 उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 के लिए सरकारी/निजी क्षेत्र में स्थापित पैरामेडिकल कालेजों की सूची/पाठ्यक्रम तथा उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों की संख्या :–

क्र. स.	कॉलेज का नाम	पाठ्यक्रम	राज्य कोटे की सीटों की संख्या
1	प0 ललित मोहन शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,ऋषिकेश (स्वायतशासी महाविद्यालय)	बी0एस–सी0 एम0एल0टी0	**30**
2	डी0पी0एम0आई0, पौडी गढ़वाल (निजी)	बी0एस–सी0 एम0एल0टी0	20
3	सूरजमल अग्रवाल प्राईवेट कन्या महाविद्यालय कालेज ऑफ पैरामेडिकल उधम सिंह नगर (निजी)	बी0एस–सी0 एम0एल0टी0 बी0एस–सी0 आप्टोमेट्री बी0एम0आर0आई0टी0	30 30 25
4	उत्तरांचल पी0जी0 कालेज, देहरादून (निजी)	बी0एस–सी0 आप्टोमेट्री बी0एम0आर0आई0टी0 डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री डिप्लोमा इन डेनटिस्ट्री डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन	30 30 15 20 25
5	यू0आई0एच0आई0टी0 देहरादून, (निजी)	बी0एस–सी0 एम0एल0टी0 बी0एस–सी0 मेडिकल माइक्रोबायोलाजी बी0एम0आर0आई0टी0	25 25 25
6	अरिहन्त कालेज ऑफ नर्सिंग, हरिद्वार	बी0एस–सी0 एम0एल0टी0 बी0पी0टी0	12 12
7	दून इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज देहरादून	बी0एस–सी0 एम0एल0टी0 बी0एस–सी0 मेडिकल माइक्रोबायोलाजी बी0एम0आर0आई0टी0 बी0पी0टी0	20 20 30 20

8	श्री एजुकेशनल सोसायटी हाई टेक आई हास्पिटल काशीपुर उधम सिंह नगर	बी0एस–सी0 आप्ट्रोमेट्री डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री	20 20
9	श्री कालेज पैरामेडिकल साईन्स काशीपुर ऊधम सिंह नगर	बी0एस–सी0 एम0एल0टी0	10
10	बिशम्बर सहाय मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर रुडकी	बी0एस–सी0 एम0एल0टी0	15
11	श्री स्वामी भूमानन्द कालेज आफ पैरामेडिकल हरिद्वार	बी0एम0आर0आई0टी0 बी0एस–सी0 आप्ट्रोमेट्री डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री	20 22 20

उपरोक्त तालिका में वर्णित सीटों की संख्या घट एवं बढ सकती है तथा इन्हें काउन्सिलिंग के समय अधिसूचित किया जायेगा।

- उपरोक्तानुसार दर्शायी गयी पैरामेडिकल संस्थानों/सीटों की संख्या घट या बढ़ भी सकती हैं तथा विश्वविद्यालय/पैरामेडिकल की कालेज विशेष के बारे में अधुनान्त निर्देशों पर भी निर्भर करेगी।
- परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में जब भी आवश्यक हो राज्य के पास प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों में (जिसमें आरक्षित श्रेणी की सीटें भी सम्मिलित हैं) कमी, बढोतरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
- उपरोक्त सीटों के विवरण में सामान्य सीटों की संख्या तथा विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुरूप उपरोक्त सभी शिक्षण संस्थानों में शासन द्वारा गठित काउॅन्सिलिंग बोर्ड द्वारा काउॅन्सिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।
- उक्त संस्थाओं मे प्रवेश का निर्णय काउंसिलिंग की तिथि तक भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन/आई0एन0सी0/उत्तराखण्ड नर्सिग काउन्सिल/राज्य स्तरीय पैरामेडिकल की अनुमति की स्थिति पर निर्भर करेगा।
- संस्थान विशेष की पाठ्यक्रमवार शुल्क तथा अन्य विवरण जैसे परीक्षा शुल्क, हॉस्टल फीस इत्यादि काउंसिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराए जाएंगे। उपरोक्त विषय मे उत्तराखण्ड सरकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

<u>12 प्रवेश उपरान्त जमा शुल्क वापसी के नियम :–</u>

- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम कॉउन्सिलिंग में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ना चाहता है। तो उसे द्वितीय कॉउन्सिलिंग से पूर्व सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य के माध्यम से इसकी सूचना कॉउन्सिलिंग बोर्ड को देनी होगी। इस दशा में ही उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रू0 1000/– मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी।

- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम /द्वित्तीय चरण की कॉउन्सिलिंग अथवा प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त नियमानुसार पाठ्यक्रम/संस्थान परिवर्तित कर पूर्व आवंटित संस्थान

में सीट छोडकर निर्धारित तिथि के अन्दर दूसरे आवंटित संस्थान में प्रवेश ले लेता है। तो इस दषा में ही उसे पूर्व आवंटित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रू0 1000/– मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा सीट परिवर्तित करने के उपरान्त निर्धारित समय के अन्दर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो उसके द्वारा जमा सम्पूर्ण षुल्क धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

- यदि कोई अभ्यर्थी द्वित्तीय कॉउन्सिलिंग अथवा प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ता है। तो इस दषा में उसके द्वारा रिक्त की गयी सीट के विरूद्व किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा सीट भरे जाने की स्थिति में ही उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रू0 1000/– मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराषि संम्बन्धित संस्थान से वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी। अन्यथा की दशा में उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण शुल्क धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

13 न्यायियक विवाद :–

उत्तराखण्ड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा–2019 परीक्षा एवं प्रवेश से सम्बन्धित कोई विवाद होने की दशा में उक्त विवाद केवल उत्तराखण्ड न्यायालय के अधीन होंगे।

=Disclaimer=

- Instances of provision of incorrect information detected at any stage of the selection process will automatically disqualify the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear for **Uttarakhand ParamedicalEntrance Examination-2019** in future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected in subsequent years, such disqualification will take place with retrospective effect and the Principal/Dean of the concerned college/ institute shall have the authority to cancel admission of the candidate and to proceed with legal action against him/her as all the information/ documents furnished by the candidate will be scrutinized /verified by competent authorities, after admission in the concerned college/institute.
- The statement made in information bulletin and all information contained herein are believed to be correct at the time of publication /uploading in the website. However, the University/ Uttarakhand Government reserve the right to make any change without notice, changes and additions to the regulations/conditions governing the admission procedure, conduct of students, requirements for degree, fees and any other information, or statements contained in this information bulletin at any time. University/ Uttarakhand Government will not be responsible for hardship or expense incurred by the candidates or any other person or persons for such changes, additions, omissions or errors, no matter how they are caused.
- In case of any ambiguity in interpretation of any the instructions /terms /rules/criteria regarding counseling, the interpretation of the Counseling Board shall be final and binding.

विभिन्न प्रमाण पत्र एवं उनके प्रारूप

स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0/श्रीमती.. पुत्र/सुपुत्री श्री......... ....निवासी ग्राम...तहसील................................नगर........................ ....जिला...
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण अधिनियम 1993) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) ....पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)...के आश्रित है।

स्थानः हस्ताक्षर..
दिनांक पूरा नाम..
पद नाम...........................
....
मुहर..
अभ्यार्थी के हस्ताक्षर...................................

जिलाधिकारी
(सील)

———————————————————————————————————————

उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों के लिए सूचना संकेतः–
स्वत्रंता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु केवल यह पर्याप्त होगा कि वह व्यक्ति स्वत्रंता संग्राम सैनानी के पुत्र/पुत्री, पुत्र का पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री हो। ऐसे आश्रित का स्वत्रंता संग्राम सैनानी पर आर्थिक रूप से आश्रित होना आवष्यक नही होगा।
उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों हेतु उपरोक्त आश्रित के प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार ही प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई प्रारूप उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत नहीं किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त प्रारूप ही मान्य होगा।

टिप्पणीः– केवल **जिलाधिकारी** द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही उपरोक्त आरक्षण के लिए मान्य होगा।

उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिको के आश्रितो के लिए पैरामेडिकल 2019 हेतु प्रमाण–पत्र का प्रारुप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... निवासी..........................
....ने .... भारतीय
जल / थल / वायु सेना की सक्रिय सेवा में थे तथा सेवा निवृत्त से पहले श्री ....
..................भारतीय.................................. (............................ सेना युनिट)............................... में नियुक्त थे।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी .... पुत्र / पुत्री श्री ....
(भूतपूर्व सैनिक) के आश्रित है।

सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो

अभ्यिर्थी का नाम ....

अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर..

निवासी...

दिनांक ....

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर.................................

सक्षम अधिकारी का नाम......................................

सक्षम अधिकारी का पद..

सील

(19)

संख्या: 310 / XVII-2 / 16-02(OBC) / 2012

प्रेषक,
डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

1-Received under Registered Cover
2-No. EV510729856IN 6209
3-Dated 2/3/16
4-To ADM (E) / AJA-III

सेवा मे,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

D.M
Dehradun

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 26 फरवरी, 2016

विषय: अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 01 वर्ष से 03 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जारी किये जा रहे प्रमाण-पत्रों की वैधता अवधि के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-590 / XVII-2 / 12-05(OBC) / 2010 दिनांक 30 मई, 2012 निर्गत किया गया था, जिसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष मान्य होगी, व्यवस्था की गयी थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र बनाये जाने में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक मान्य होगी, की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(i) अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवदेनकर्ता गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर (नोटरी युक्त) इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि आवेदनकर्ता क्रीमीलेयर की श्रेणी में नहीं आता है तथा अपनी आय के सम्बन्ध में उक्तानुसार शपथ पत्र प्रतिवर्ष सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि अब उसकी आय कितनी है।

(ii) सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति के क्रीमीलेयर हेतु निर्धारित आय से अधिक आय होने पर आवेदक के प्रमाण पत्र को निरस्त कर देगा।

(iii) आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र धोखे से या गलत बयानी या तथ्यों को छुपाकर या किसी अन्य कारण से प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति मे यह प्रमाण पत्र अवैध घोषित किया जायेगा तथा आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया लाभ वापस ले लिया जायेगा। आवेदक के विरूद्ध तथ्यों की गलत बयानी के लिए तथा दोषी जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारी यदि हों, के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।

AJA III
आरक्ष

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि का अनिवार्य रूप से अंकन करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः-- / XVII-2/16-02(OBC)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य प्रधान सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमांऊ/गढवाल, नैनीताल/पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक)
9. सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।